न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस.जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 23/2019 (Rcms no: 2019/00049)

उनवानी प्रकरण :–

1. रतन सिहं पुत्र रनवीर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मटियावास तहसील बसेडी जिला धौलपुर ——अपीलान्ट।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर——रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.1.2019
नायव तहसीलदार बसेडी प्र.सं.01/2018
उनवानी राज0 सरकार बनाम रतनसिहं
अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–31.10.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायव तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 18.1.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का बडरिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 0.23 हैक्टेयर किस्म वाके ग्राम मटियावास पर सरसों की फसल बोकर अतिकमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 123 व खसरा नम्बर 197 पर अतिकमी मानते हुए 3 माह के सिविल कारावास व 50 गुना शास्ति राशि 35/–रूपये से अधिरोपित किया है। अपीलाधीन निर्णय तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 123 व 197 पर की भी कब्जा नहीं किया तथा ना ही वर्तमान में अपीलान्ट का किसी प्रकार

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

का कब्जा है। पटवारी हल्का द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त न होने के उपरान्त भी शास्ति जमा करादी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को निर्णय पारित करने से पूर्व जबाव देही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट ने हमेशा हस्ताक्षर किये हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन पत्रावली में दर्शाये गये नोटिस पर अपीलान्ट के निशानी अगूँठा अंकित है। अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है। पटवारी हल्का ने अपने बयान में मात्र खसरा नम्बर 123 पर अतिकमण बताया है तथा जारी नोटिस में भी अपीलान्ट को मात्र खसरा नम्बर 123 का अतिकमी अंकित किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमानी पूर्ण रवैये को अपनाते हुए अपीलान्ट को खसरा नम्बर 197 का भी अतिकमी मानते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सर्व प्रथम दिनांक 18.6.2019 को अपने घरवालों से हुई। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 18.1.2019 में सजा के बिन्दु तक निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम, कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने बावत शपथ पत्र, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 18.1.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रतिलिपि पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वती अतिकमी मानते हुए लगान का 50 गुना शास्ति राशि 35/– अधिरोपित कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। पटवारी हल्का ने अपने बयान में मात्र खसरा नम्बर 123 पर अतिकमण बताया है तथा जारी नोटिस में भी अपीलान्ट को मात्र खसरा नम्बर 123 का अतिकमी अंकित किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 197 का भी अतिकमी मानते हुए निर्णय पारित किया है। जैसे ही अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगें इस

(आर0 के0 जोयसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

बात का शपथ पत्र दे दिया है। तहसीलदार बसेडी ने रिपोर्ट दिनांक 21.8.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 123 व 197 पर से कब्जा हटा लिया गया है वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 सजा के बिन्दु तक निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अपीलान्ट ने सम्वत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट निर्णय दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में स्वंय उपस्थित था। अपीलान्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पटवारी हल्का से जिरह करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से समय की मॉग करता तो अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय समय देने हेतु विचार करता । यदि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नही था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोडने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 यथावत रखा जावे ।

अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया । तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.8.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 123 व 197 से अतिक्रमण हटा लिया है। वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है क्योंकि निर्णय दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सत्य है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का के बयानों में आराजी खसरा नम्बर 123 अकिंत हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 123 व 197 पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर से कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं कराये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसका सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया । तहसीदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.8.2019 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है

उपरोक्त विवेचन तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार बसेडी पुनः मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड दिया है वर्तमान में कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार बसेडी अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर